भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1742
उत्तर दिनांक 29/07/2026 को दिया गया

कैगा परमाणु विद्युत परियोजना

1742. श्री तेजस्वी सूर्या

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार ने कैगा जनरेटिंग स्टेशन की इकाई संख्या 5 और 6 के निर्माण के दौरान कर्नाटक को प्राप्त होने वाले पूंजीगत व्यय, इंजीनियरिंग संविदाओं तथा रोजगार का अनुमान लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्नाटक में स्थानीय उद्योगों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कुशल श्रमिकों को इस परियोजना से संबंधित खरीद, निर्माण एवं सहायक सेवाओं में भाग लेने के लिए सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है; और

(ग) क्या लाभार्थी राज्यों के बीच कैगा जनरेटिंग स्टेशन की इकाई संख्या 5 और 6 से बिजली के आवंटन की व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया है और यदि हां, तो कर्नाटक को आवंटित किए जाने वाले प्रस्तावित हिस्से सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो आवंटन व्यवस्था को अंतिम रूप देने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) कर्नाटक राज्य में कैगा-5 व 6 परियोजना (2 X 700 मेगावाट) 21,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर पीएचडब्ल्यूआर के प्रथम फ्लीट मोड कार्यान्वयन की पहली परियोजना है। परियोजना के लिए विभिन्न उपकरणों और घटकों के प्रापण की प्रक्रिया प्रगति पर है। परियोजना के लिए नाभिकीय आइलैंड हेतु मेगा ईपीसी पैकेज और टर्बाइन आइलैंड के लिए ईपीसी पैकेज प्रदान किए जा चुके हैं।

निर्माण की चरम अवधि के दौरान, इस परियोजना में लगभग 8000 व्यक्तियों को रोजगार मिलने का अनुमान है। इस रोजगार का स्तर घंटा वक्र (Bell Curve) के अनुसार रहेगा। केंद्रों के प्रचालित होने पर, इनमें (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) लगभग 2000 व्यक्तियों को रोजगार मिलने का अनुमान है। साथ ही, परियोजना स्थल पर आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक अवसरों से स्थानीय ठेकेदारों/विक्रेताओं के रोजगार की पर्याप्त संभावना है।

(ख) इस संबंध में एनपीसीआईएल द्वारा उठाए जा रहे मुख्य कदम निम्नानुसार हैं:

- थोक मात्रा में ऑर्डर देना।
- आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करते हुए विक्रेता आधार का विस्तार करना।

- आयात प्रतिस्थापन और विक्रेता विकास के लिए स्वदेशी उपकरणों का विकास करना।
- श्रेणी-1 के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए कुछ उपकरणों को आरक्षित करना।
- एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए विक्रेता बैठकों का आयोजन करना और भारत सरकार की नीति के अनुसार बोलियों में एमएसएमई को प्राथमिकता प्रदान करना।

(ग) केंद्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन केंद्रों द्वारा उत्पादित विद्युत को विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार संबंधित विद्युत क्षेत्र के लाभार्थी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किया जाता है। इसलिए कैगा-5 व 6 से उत्पादित विद्युत का आवंटन भी उचित समय पर विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा किया जाएगा।

*****